GCM/2026/67

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

आज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम डीडवाना

विजय कुमार S/o पूर्णचन्द बनाम पूर्णचन्द S/o हरकरण

किस्त मुकदमा 212 RTA सं. 23 सन् 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मल इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.02.26	वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीजन के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीजन जरिए नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 06.03.26 को पेश हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	
6/3/26	पत्रावली पेश हुई । श्री मान P.O. सा अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे हैं। मिसल दिनांक 10/3/26 को पेश हो अप्रार्थी सं. 01 ता 03 व 6 की Reg-Dak consignment Report पेश हुई। रीडर	
10.3.26	पत्रावली पेश हुई। वकील उप.। अप्रार्थी सं. 04 व 05 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ जो पत्रावली शामिल हो। अप्रार्थी सं. 01 ता 03, 6 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित है। इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 23.3.26 को पेश हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	
23.3.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील उप.। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित सरहद लाडड़िया के स्थित खसरा सं. 1758/259 रकबा 2.0745 हैक्टेयर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 15:33:07 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम की तामील
	भूमि प्रार्थी की पैत्रिक भूमि है जिसमें प्रार्थी नोशनल शेयर के अनुसार केर में काई भूमि पर निवें सींवे कायम कर काबिज चले आ रहे हैं वर्तमान में प्रार्थी का पिता/ अप्रार्थी सं. 01, प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 04 व 05 की भूमि का बेचान करने पर उतारू है जिससे प्रार्थी को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति नकदी में नहीं की जा सकती अतः प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि में नोशनल शेयर के आधार पर हकदार होने से प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।	
	पत्रावली के अवलोकन एवं वकील वादी की बहस पर मनन किया, दौराने अवलोकन पाया कि उक्त वर्णित भूमि में अप्रार्थी सं. 01 पूर्णचन्द पुत्र हरकरण 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार है जिसका प्रार्थी पुत्र है अतः नोशनल शेयर के आधार पर उक्त भूमि में प्रार्थी का हिस्सा बनता है यदि प्रार्थी [illegible] की भूमि का बेचान हो जाता है तो प्रार्थी को भारी असुविधा होगी। अतः [illegible] उक्त भूमि पर स्थगन जारी किया जाना उचित समझते हैं।	
	अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 15:33:07 IST
Reason: SelfAttested

क्रम	हुक्म या कार्यावाही मल इनिशियल्स जज
	मौजा खरड़ा लाडड़िया के खेत खसरा संख्या 1358/2359 रकबा 2.0745 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 04 व 05 के हक हिस्से की भूमि में अप्रार्थीगण ता फैसला मूल वाद राजस्व रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नाकर से कम हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 15:33:07 IST
Reason: SelfAttested